

भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3107 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 13 दिसंबर, 2024/22 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है

असम में अंतर्देशीय जलमार्ग अवसंरचना

† 3107. श्री कामाख्या प्रसाद तासा :

क्या पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने असम में अंतर्देशीय जलमार्ग अवसंरचना के विकास और रखरखाव में स्थानीय समुदायों को शामिल करने के लिए कदम उठाए हैं;
- (ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्षमता निर्माण गतिविधियों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार के पास असम में बंदरगाह और जलमार्ग विकास परियोजनाओं के परिणामस्वरूप सृजित रोजगार के आंकड़े हैं;
- (घ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सृजित रोजगार का वर्षवार आंकड़ा क्या है;
- (ङ) क्या सरकार ने असम में ड्रेजिंग और जेटी निर्माण परियोजनाओं की शुरुआत से पहले पर्यावरणीय आकलन किया है; और
- (च) यदि हां, तो किए गए पर्यावरणीय आकलन और सरकार द्वारा लागू किए जा रहे शमन उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (घ): असम में अंतर्देशीय जलमार्ग अवसंरचना के विकास और रख-रखाव में स्थानीय समुदायों को शामिल किया जाता है। असम और पूर्वोत्तर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गुवाहाटी में अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र में क्षमता संवर्धन हेतु एक समुद्री कौशल विकास केंद्र (एमएसडीसी) स्थापित किया गया है। इस क्षेत्र में अब तक 24 बैचों (467 अभियार्थियों) को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वर्ष 2023-24 के लिए असम में नदी पत्तनों और जलमार्ग विकास परियोजनाओं के माध्यम से 2026 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए गए हैं। अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र से कार्गो आवाजाही, यात्री आवाजाही एवं पर्यटन आदि से जुड़े कई व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होता है जिसके आंकड़ों का रख-रखाव नहीं रखा जाता है।

(ड) और (च): मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी अपेक्षित नहीं है क्योंकि 2 मी. से 2.5 मी. से कम मौजूदा गहराई में सुधार करने के लिए फेयरवे रखरखाव ड्रेजिंग गतिविधियां 35 से 45 मीटर चौड़ाई के नौचालन चैनल तक सीमित हैं। नदी तटों पर जेट्टी/ टर्मिनल का निर्माण, मौजूदा पर्यावरणीय दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है और शमन संबंधी उपायों का अनुपालन किया गया है।
